2023 का विधेयक संख्यांक 141 .

[सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नई धारा 3छ का अंतःस्थापन ।

2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3च के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2009 का 25

सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना ।

"3छ. मुख्यतः भारत की जनजातियों को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान प्रसुविधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण तेलंगाना राज्य पर होगा ।"।

पहली अनुसूची की संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"17	तेलंगाना	सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण तेलंगाना राज्य।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे उपाबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना आने वाले वर्षों में प्रादेशिक आकांक्षाओं को पूरा करेगा । यह उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करेगा और राज्य के लोगों के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान प्रसुविधाओं का संवर्धन करेगा । यह जनजातीय कला, संस्कृति और प्रथाओं में अनुदेशक और अनुसंधान प्रसुविधाओं तथा भारत की जनजातीय जनसंख्या के लिए प्रौद्योगिकी में उन्नति का उपबंध करके उन्नत ज्ञान का भी संवर्धन करेगा । जनजातीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किसी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय के समान सभी शैक्षिक और अन्य कार्यकलापों को करेगा । इसके अतिरिक्त, तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन आबद्धकर है । इसलिए, सरकार ने तेलंगाना राज्य में "सम्माक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय" नामक एक नए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विनिश्चय किया है ।

3. तदनुसार, तेलंगाना राज्य में "सम्माक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय" नामक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
24 नवंबर, 2023

धर्मेन्द्र प्रधान

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में एक नई धारा 3छ अंत:स्थापित करने के लिए है, जो संपूर्ण तेलंगाना राज्य पर अधिकारिता रखने वाले किसी निगमित निकाय के रूप में सम्माक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करता है ।

2. विश्वविद्यालय की स्थापना दो चरणों में सात वर्ष के लिए 889.07 करोड़ रुपए के बजटीय उपबंध के साथ की जाएगी । उक्त व्यय को शिक्षा मंत्रालय के बजटीय उपबंधों के माध्यम से भारत की संचित निधि से चुकाया जाएगा ।